न्यायालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा
आँगनबाड़ी वाद सं0-47/2018
जमीशा खातुन
बनाम
अजीमा खातुन एवं अन्य

वादी जमीशा खातुन, पति-मो0 शब्बीर, सा0-बिशनपुर बाजार, वार्डनं0-05, थाना-कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा द्वारा प्रखण्ड कुमारखण्ड के पंचायत-बिशनपुर बाजार वार्ड नं0-05 के आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका चयन के विरुद्ध वाद दाखिल किया गया। जिसके उपरान्त सभी पक्षों को सुनने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदोपरान्त विभिन्न तिथियों में सुनवाई कर वाद आदेशार्थ रखा गया।

वादी जमीशा खातुन के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादी कुमारखण्ड प्रखण्ड के बिशनपुर बाजार वार्डनं0-05 के आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका पद की अभ्यर्थी है तथा आवेदन प्रपत्र पर प्राप्ति सं0-60, दिनांक-4.4.18 है। आवेदन के साथ वादी द्वारा निम्न कागजात समर्पित की यथा-

1. बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मार्कसीट।
2. बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का प्रमाण पत्र।
3. बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मौलवी का प्रमाण पत्र।
4. निवास प्रमाण पत्र।
5. जाति, आय प्रमाण पत्र।
6. वोटर लिस्ट।
7. शपथ पत्र।

वादी आँगनबाड़ी सेविका पद हेतु मेघा क्रमांक-2 पर है। दिनांक-25.4.18 को वार्ड नं0-05 मे आमसभा में उपस्थित 69 व्यक्तियों से हस्ताक्षर कराया गया, जिसका मैपिंग पंजी में वर्णित कुल जनसंख्या 1096 है। बिना कोरम के ही सेविका पद के लिए प्रस्ताव लिया गया। जो विधि विरुद्ध है। आमसभा के प्रस्ताव सं0-5 में आँगनबाड़ी सेविका अजीमा खातुन, पति-मो0 अखलाख को चयन किया गया। जबकि उनके विरुद्ध आपत्ति दर्ज था कि वे मदरसा बोर्ड एवं बिहार बोर्ड से एक ही सत्र में उत्तीर्णता प्राप्त की है तथा जन्म तिथि में भी भिन्न-भिन्न है। अजीमा खातुन का जन्म तिथि तीन जगह तीन तरह से अंकित है, जिसका प्रमाणिक साक्ष्य है। सही तथ्य को छुपाकर आँगनबाड़ी सेविका का चयन किया गया, जबकि आपत्ति के जाँचोपरान्त चयन किया जाना था। परन्तु मार्गदर्शिका के विपरीत गलत सूचना पर चयन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मैपिंग पंजी भी त्रुटिपूर्ण है तथा जिसके आधार पर चयन किया जाना विधि विरुद्ध है। प्रतिवादी अजीमा खातुन का नाम मैपिंग पंजी में नहीं है ना हीं मतदाता सूची में अंकित है। चयनित सेविका अजीमा खातुन का बिहार बोर्ड में जन्म तिथि-04.07.2001 है। जिसमे रौल कोड-43023, रौल नं0-1700002 तथा पंजीयन सं0-43023-00002-16 है तथा वर्ष 2016 का है एवं फोकनिया बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, पटना में रौल नं0-0019, पंजीयन सं0-MAD219/2016, जन्म तिथि-3.4.1998 अंकित है तथा पंजीयन वर्ष 2016 है। स्पष्ट है दोनों बोर्ड में सत्र एक ही वर्ष 2016 है। अजीमा खातुन का आधार नं0-60627006845 पर जन्म तिथि 01.01.1994 है। इस प्रकार चयनित सेविका की

जन्मतिथि क्रमशः 04.07.2001, 3.4.1998 तथा 01.01.1994 प्रमाणिक साक्ष्य में अंकित है एक ही व्यक्ति की जन्म तिथि तीन जगह भिन्न- भिन्न है जो विधि विरुद्ध है। एक ही समय में बिहार बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड में पंजीयन कराना परीक्षा नियमावली के विरुद्ध है। प्रतिवादी अजीमा खातुन का नाम मैपिंग पंजी के क्रमांक-50 पर बताया गया है, जबकि क्रमांक-50 पर दूसरे व्यक्ति का नाम अंकित है। आवेदन प्रपत्र भी चयनित अभ्यर्थी द्वारा पूर्णरुपेण नहीं भरा गया है तथा आवेदन प्रपत्र एवं शपथ पत्र के हस्ताक्षर में मिलान नहीं होता है। चयनित सेविका अजीमा खातुन का चयन मार्गदर्शिका के नियमावली के विपरीत किया गया है जबकि वे चयन हेतु अयोग्य है। उक्त के आलोक में वादी द्वारा प्रतिवादी अजीमा खातुन के चयन को रद्द कर अपने चयन का अनुरोध किया है। मेघा सूची में भी प्रतिवादी अजीमा खातुन के अतिरिक्त विषय को छोड़कर मेघा अंक दर्शाया गया है, जो मेघा अंक विभागीय नियमानुसार गलत है।

प्रतिवादी सं0-1 अजीमा खातुन, पति- मो0 अखलाख, सा0-बिशनपुर बाजार, वार्डनं0-5, थाना-कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि उनकी नियुक्ति आमसभा में आँगनबाड़ी सेविका निर्देशिका के नियमानुसार किया गया है। जबकि वादी द्वारा दाखिल वाद में गलत तथ्यों के आधार पर गंदी राजनीति के तहत् परेशान करने की नियत से वाद दाखिल किया गया है, जो हर तरह से खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया गया है कि विपक्षी मेघा सूची में पहले स्थान पर थी। आमसभा का कोरम पूरा नहीं होने के संबंध में लगाया गया आरोप झूठ एवं मनगढ़ंत है। वास्तव में आमसभा में 100 से भी ज्यादा व्यक्ति उपस्थित थे तथा सभी के आम स्वीकृति से सभी प्रमाण पत्रों के जाँच के बाद चयन का निर्णय लिया गया। आमसभा के प्रस्ताव सं0-5 द्वारा प्रतिवादी अजीमा खातुन का चयन सेविका पद पर किया गया, जिसमें विपक्षी के द्वारा वर्ष 2014 के वास्तानियाँ का सर्टिफिकेट, मार्कसीट व वर्ष 2016 के फोकनियाँ का सर्टिफिकेट व मार्कसीट दाखिल किया गया है, जिसमें जन्म तिथि 03.4.1998 दर्ज है। सेविका चयन हेतु बनाया गया मैपिंग पंजी बिल्कुल सही है। जिसके आधार पर प्रतिवादी का चयन किया गया है। मैपिंग पंजी एवं मतदाता सूची में नियमानुसार उनके सास-ससुर का नाम तथा परिवार के मुखिया का नाम दर्ज है। प्रतिवादी का पंजीयन वास्तानियाँ में वर्ष 2014 में है तथा फोकनियाँ में वर्ष 2016 मे है। प्रतिवादी के आधार कार्ड में भी जन्म तिथि 03.04.1998 दर्ज है तथा इनकी एक ही जन्म तिथि है। ये एक ही बोर्ड से वास्तानियाँ एवं फोकनिया की परीक्षा पास की है। प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र पर सभी हस्ताक्षर प्रतिवादी सं0-01 अजीमा खातुन का है। मार्गदर्शिका के अनुरुप कोरम पूर्ण होनेवाली आमसभा में पास किये गये प्रस्ताव से नियमानुसार चयन किया गया है। वादी द्वारा लगाया गया आरापे मनगढ़त एवं झूठे तथ्यों पर आधारित है, जिसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कराये गये कागजातों का अवलोकन किया। वादी द्वारा चयनित सेविका श्रीमती अजीमा ख़ातुन के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी द्वारा एक ही सत्र वर्ष 2016 में बिहार बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड से पंजीयन कराया गया है तथा परीक्षा में सम्मिलित हुई है। साथ ही दोनों बोर्ड में जन्म तिथि क्रमशः 04.07.2001 एवं 03.04.1998 है। जिसके संदर्भ में वादी द्वारा प्रधानाध्यापक, महेश हरिहर उच्च विद्यालय, रानीपोखर, चिकनी फुलकाहा, गम्हरिया, के प्रमाण पत्र की छाया प्रति इंटरनेट से प्रतिवादी अजीमा खातुन के प्राप्तांकों की

छायाप्रति संलग्न की गयी है। बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना के वेवसाईट पर वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये छायाप्रति की जॉच की गयी। उक्त रौल कोड-43023, रौल नं0-1700002 तथा पंजीयन सं0-43023-00002-16 की जॉँच करने पर पाया गया कि उक्त विवरण में अभ्यर्थी का नाम अजीमा खातुन, पिता-मो0 इब्राहिम तथा माता का नाम बीबी अमना है, जिसमें जन्मतिथि-04.07.2001 अंकित है, जिसमें वे अनुत्तीर्ण है। जिसके आधार पर स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादी अजीमा खातुन के विरूद्ध लगाया गया आरोप बिल्कुल सही है। श्रीमती अजीमा खातुन द्वारा बिहार विद्यालय बोर्ड से वर्ष 2016 मे पंजीकृत है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुई तथा अनुत्तीर्ण रही है। स्पष्ट है कि प्रतिवादी अजीमा खातुन एक ही सत्र में बिहार विद्यालय बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड से पंजीकृत है तथा परीक्षा में सम्मिलित हुई। साथ ही दोनों बोर्ड में इनकी जन्मतिथि अलग-अलग है। प्रतिवादी द्वारा एक ही सत्र में बिहार बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होना विधि विरूद्ध है तथा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। जिसके आधार पर उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविका पद पर किये गये अजीमा खातुन के चयन को रद्द कि जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड को आदेश दिया जाता है कि विभागीय निदेशानुसार वादी का चयन करना सुनिश्चित करें। साथ ही दोषी के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई भी की जाय।

आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय।

संशोधित एवं लेखापित

ह0/- 16.2.19

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ह0/- 16.2.19

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
मधेपुरा।

डी0बी0नं0......28......./प्रो0, मधेपुरा, दिनांक-.....16..../02/2019

प्रतिलिपिः- जमीशा खातुन, पति-मो0 शब्बीर/ अजीमा खातुन, पति- मो0 अखलाख, दोनों सा0-बिशनपुर बाजार, वार्ड नं0-5, थाना-कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/- 16.2.19

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
मधेपुरा।